

~~गेय  
लोक  
प्रपत्र~~ अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र



यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : .....

**स्थान :** .....

नाम व पद

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
मणिमंत्री  
श्री भगवन्न शमिति, कोटि

परिशिष्ट-‘१’  
नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक / चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत  
निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

### **पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं**

आवेदक का नाम/पता	सुनील जाधव स १०८ उपर्युक्त अधिकारी
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है। चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	कोटा भूमि नाम पुरम, भूमि पुरम, विक्री बाजार नगर, कोटा गुजरात ११९८३
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	४३०३७
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जां रहे कार्यों का विवरण चाही गई भूमि के उपयोग बाबत् परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	स१०४७ स१०४८

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सुचनाएँ

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	भूमि पूर्ण समाज
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोर्मस क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	सत्रांन नहीं
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	प्राप्तवेदन शुल्क ₹५००० रु.
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	१८० का २५ शेषीभा।
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	संत्रांन
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	८०
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	५०
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण	
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	८०
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत क्या प्रश्ननगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	
अन्य विवरण	

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

नि-2015 ३३  
महामंत्री  
प्री भरोबु समिति, कोटा